बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

आ0सं0:-08/अ0प्र0-65/2016 3739 /पटना, दिनांक:- 2.4.25

श्री प्रकाश रंजन द्वारा पिता-स्व0 श्री शोभा साह, कार्यभारित पथ बेलन चालक की सेवा अवधि में मृत्यु होने के पश्चात् अनुकम्पा नियुक्ति हेतु यह सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-15149/2014 प्रकाश रंजन बनाम बिहार राज्य एवं अन्य माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर किया गया।

2. इस वाद में दिनांक-20.08.2024 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा निम्नांकित न्यायादेश पारित किया गया है:-

" Learned counsel appearing on behalf of the petitioner seeks to file detailed representation before the authority concerned for the relief(s) as prayed for in the present writ petition.

Considering the aforesaid submission made on behalf of the petitioner, the authority concerned is directed to redress the claim of the petitioner and dispose of the representation expeditiously.

Accordingly, the present writ petition is disposed of. "

3. वर्णित न्यायादेश के आलोक में आवेदक श्री प्रकाश रंजन द्वारा समर्पित अभ्यावेदन पर विचार करने हेतु दिनांक-28.02.2025 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी जिसमें आवेदक की अनुपस्थिति के उपरान्त पुनः दिनांक-19.03.2025 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई। आवेदक को अपने पक्ष से संबंधित सभी आवश्यक अभिलेखों के साथ सुनवाई में भाग लेने के लिए सूचित किया गया। कार्यपालक अभिंयता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, सासाराम-01 को भी इस वाद से संबंधित सभी आवश्यक अभिलेखों/कागजातों के साथ सुनवाई में उपस्थित होने का निदेश दिया गया। उक्त सुनवाई में आवेदक श्री प्रकाश रंजन, कार्यपालक अभिंयता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, सासाराम-01 एवं विभाग की ओर से संबंधित अवर सचिव तथा प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी उपस्थित हुए।

4. आवेदक श्री रंजन द्वारा मौखिक एवं लिखित रूप से अपना पक्ष रखते हुए बताया गया कि मेरे पिता-स्व0 शोभा साह की मृत्यु की तिथि 08.05.2011 को रोलर चालक के पद पर स्थायी एवं नियमित वेतन पर कार्यरत अवधि में मृत्यु हो गयी थी। मेरे द्वारा अनुकम्पा संबंधी आवेदन पत्र 27.07.2011 को कार्यालय में दिया था तद्पोरांत सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-15149/2014 प्रकाश रंजन बनाम बिहार राज्य एवं अन्य माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर किया गया। जिसमें विभाग द्वारा जबाव दिया गया कि स्व0 शोभा साह नियमित नौकरी में नहीं थे इसलिए आवेदक की सेवा में अनुकम्पात्मक नियुक्ति नहीं की गयी। इनके द्वारा अपने अभ्यावेदन में वित्त विभाग के संकल्प सं0-6394, दिनांक-23.10.1987 का उल्लेख किया गया है, जिसमें सक्षम प्राधिकार द्वारा नियुक्ति योग्य कर्मचारियों जिन्होनें नियम संगत लगभग 5 वर्षो तक

लगातार 240 दिन सेवा प्रदान किया है उन्हें नियमित करने का प्रवधान है। प्रावधान का जिक्र करते हुए अनुकम्पात्मक नियुक्ति का अनुरोध किया है। साथ ही परिवार की दयनीय स्थिति का जिक्र करते हुए इस संबंध में जल्द से जल्द निर्णय लेकर न्याय करने का अनुरोध किया गया है।

5. इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, सासाराम-01 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार अधीक्षण अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठ्न, कार्य अंचल, सासाराम के ज्ञाप सं0-2 गो0, दिनांक-04.08.1987 के द्वारा श्री स्व0 साह की नियुक्ति कार्यभारित स्थापना के अंतर्गत रोलर चालक के पद पर की गयी। इसके आलोक में अधीक्षण अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठ्न, कार्य अंचल, सासाराम द्वारा उनका योगदान दिनांक-04.08.1987 को स्वीकृत किया गया। वित्त विभाग के संकल्प सं0-10710 दिनांक-17.10.2013 के आलोक में इन्हें नियमित स्थापना अन्तर्गत समायोजन हेतु सभी अभिलेख विभाग को समर्पित किया गया था। परन्तु, संकल्प सं0-10710 दिनांक-17.10.2013 में संसूचित निर्धारित कट ऑफ डेट दिनांक-11.12.1990 के बाद कार्यभारित स्थापना में नियुक्ति होने के कारण इनका नियमितिकरण नहीं किया गया।

6. विभाग की ओर से उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि स्व0 शोभा साह, कार्यभारित रोलर चालक का नियमितीकरण वित्त विभागीय संकल्प सं0-5547, दिनांक-03.07.2019 एवं संकल्प सं0-512, दिनांक-17.01.2020 में संसूचित प्रावधानों/निर्णय के आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश सं0-85, सहपठित ज्ञापांक-2038, दिनांक-21.04.2023 के द्वारा मृत्यु की तिथि 08.05.2011 से नियमित स्थापना में सम्परिवर्तित/समायोजित किया गया है।

7. वित्त विभागीय संकल्प सं0-5547, दिनांक-03.07.2019 की कंडिका-05 में संसूचित प्रावधानानुसार निम्न सुविधायें अनुमान्य होगीः-

(i) पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत सेवांत लाभ अनुमान्य किया जा सकेगा।

(ii) इन्हें पेंशन परिगणना हेतु वित्त विभागीय संकल्प सं0-10710, दिनांक-17.10.2013 के समतुल्य प्रत्येक पाँच वर्ष की कार्यभारित सेवा के बदले एक वर्ष की नियमित सेवा की मान्यता देते हुए पेंशन एवं ग्रेच्यूटी लाभ की गणना की जायेगी। इसके बावजूद यदि पुरानी पेंशन के तहत पेंशन स्वीकृति हेतु निर्धारित न्यूतम् पेंशन प्रदायी सेवा 10 वर्ष पूर्ण नहीं हो तो, उस हद तक न्यूनतम् सेवा जोड़कर पेंशन का लाभ दिया जायेगा।

(iii) इनके संबंध में पुरानी पेंशन योजना के लिए अन्य शर्ते यथावत लागू रहेगी।

(iv) कार्यभारित स्थापना में सेवाकाल के दौरान मृत्य कार्यभारित कर्मी के आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति का लाभ देय नहीं होगा।

(v) इन कर्मियों की ए0सी0पी0 के प्रयोजनार्थ कार्यभारित सेवा अवधि की गणना की जायेगी। परन्तु दिनांक-01.01.2009 एवं दिनांक-17.10.2013 के बीच इस श्रेणी के सेवानिवृत/मृत्य कर्मियों को एम0ए0सी0पी0 के लाभ के प्रयोजनार्थ कार्यभारित सेवा अवधि की गणना की जा सकेगी।

08. अतएव स्पष्ट है कि स्व0 साह के नियमितीकरण से संबंधित वित्त विभागीय संकल्प सं0-5547, दिनांक-03.07.2019 में संसूचित प्रावधानानुसार आवेदक श्री प्रकाश रंजन का अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का दावा विधि सम्मत नहीं है।

09. वर्णित स्थिति एवं तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत आवेदक श्री प्रकाश रंजन के दावे को नियमानुकूल नहीं होने के कारण अस्वीकृत किया जाता है। साथ ही कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, सासाराम-01 को यह आदेश दिया जाता है कि विभागीय कार्यालय आदेश सं0-85, सहपठित ज्ञापांक-2038, दिनांक-21.04.2023 द्वारा स्व0 साह के नियमितीकरण के पश्चात् वित्त विभाग के संकल्प सं0-5547, दिनांक-03.07.2019 के आलोक में अनुमान्य सेवांत लाभ का भुगतान यदि नहीं किया गया है तो उसे शीघ्र भुगतान कराना सुनिश्चित किया जाय।

वाद निष्पादित।

इससे सभी संबंधित पक्षों को अवगत करा दें।

(ई0 निर्मल कुमार)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः-08/अ0प्र0-65/2016 3734 /पटना, दिनांकः- 2.4.25

प्रतिलिपिः-महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/जिला लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

01-04-2025
(प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल')
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः-08/अ0प्र0-65/2016 3734 पटना, दिनांकः- 2.4.25

प्रतिलिपिः-अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता-02, गया, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सासाराम/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य पमंडल, सासाराम-01/(निबंधित) श्री प्रकाश रंजन, पिता-स्व0 शोभा साह, पता-ग्राम+पो0+प्रखण्ड+थाना-संझौली, जिला-रोहतास-802220/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01-04-2025
सरकार के अवर सचिव

(Seal), कार्यालय आदेश
(Seal), कार्यालय आदेश